राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)(   )(PSKS)/डीएलबी/21/25817-26030   दिनांकः 21/12/2021

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
राजस्थान।

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।
प्रसंगः– समसंख्यक विभागीय पत्र क्रमांक 23384–651 दिनांक 02.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 693–1195 दिनांक 07.12.2021

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा प्रसांगिक पत्र/आदेश जारी किये जा कर विभिन्न आदेशों/परिपत्रों एवं सरकार द्वारा दी गई रियायतों की जानकारी आम जनता को पूर्ण रूप से दिये जाने संबंधी जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराकर पट्टे हेतु आवेदन पत्रों की संख्या बढाने एवं अधिकाधिक पट्टे जारी किये जाकर शहरी आम जनता को लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

किन्तु नगरीय निकायो द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिवरों का उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर विभाग के ध्यान में लाया गया है कि राज्य की नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्त विभागीय निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नही की जा रही है जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा पट्टे जारी करने हेतु आवंटित लक्ष्य की पूर्ति किये जाने में कठिनाई आ रही है।

अतः पुनः निर्देश दिये जाते है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक विभागीय पत्र क्रमांक 23384–651 दिनांक 02.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 693–1195 दिनांक 07.12.2021 के निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना सुनिशिचित करे अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )(PSKS) /डीएलबी/21/26031-26107   दिनांकः 21/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
स्वायत्त शासन विभाग
जयपुर

D/PSKS2021/letter